



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा : भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha: Bhubaneswar

परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: रा.भा.का.स. की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालना से संबंधित।
Regarding in Compliance with the minutes of the OLIC.

दिनांक 25.10.2024 को सम्पन्न हुई सितंबर 2024 तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त के सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

Enclosed, please find herewith the minutes of Official Language Implementation Committee (OLIC) meeting for the quarter ending September, 2024 held on 25.10.2024. Further, in this regard, you are requested to take immediate action on all the points of the minutes.

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)
Deputy Accountant General (Admn)

जापन संख्या रा.भा.अनु./राभाकास/ कार्यवृत्त /11/2022-24/211
Memo No. Rajbhasha Section/OLIC/Minutes/11/2022-24/

दिनांक/ Dated : 11.11.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित
Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/
The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन, ए.एम.जी. I/ V/
Personal Asstt. to DAG, Admn, AMG I/ V
- 3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/IV/
Personal Asstt. to DAG, AMG II/IV
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/
Personal Asstt. to DAG, AMG III
- 5- निजी सहायक, कल्याण अधिकारी/ Personal Asstt. to Welfare Officer.

- 6- नियंत्रणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -

सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।

All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

ए.एम.जी.- I / AMG-I	ए.एम.जी.- II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.- V AMG-V	ओ.एम. I OM-I
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	ओ.एम. II OM-II
आई.टी.ए/ ITA					

7- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Assistant Audit Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular to the office website.

8- सूचना पट्ट /Notice Board

9- प्रशासन अनुभाग, ओओसी गार्ड फाइल/ Admn Section, OOC Guard File.

10- राजभाषा अनुभाग, ओओसी गार्ड फाइल/ Rajbhasha Section, OOC Guard File.

11- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

विराज
11/10/24
हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 25.10.2024 को आयोजित द्वितीय
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई एवं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

1. वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही (30.09.2024) हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय को 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ किए गए पत्राचार के आंकड़ों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत जारी पत्रों की संख्या से अवगत कराया गया। विश्लेषण के दौरान पाया गया कि कार्यालय ने पत्राचार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक पत्राचार किया है। साथ ही कार्यालय ने हिंदी टिप्पणी लेखन में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है।
2. प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय द्वारा "क" 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में पत्राचार एवं टिप्पणी में लक्ष्यों की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने आगामी तिमाहियों में हिंदी पत्राचार एवं हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाने पर जोर दिया।
3. प्रधान महालेखाकार ने डीए एवं आरसी प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को नियमित आधार पर कार्यालय की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में अपलोड करें।
4. अध्यक्ष महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से समाप्त तिमाही के अगले माह की 20 तारीख तक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। अतः अध्यक्ष महोदय ने निदेशित किया कि सभी अनुभाग/प्रकोष्ठ, प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 05 तारीख तक या उससे पूर्व, राजभाषा हिंदी तिमाही प्रतिवेदन, राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों पर उनके समूह के समूह अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

तान्या अम्बरे
11.11.24
सचिव/ रा.भा.का.स. एवं
उप महालेखाकार (प्रशासन)

Minutes of the 2nd Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) for the year 2024-25, held on 25.10.2024

The meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) was held under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit-I). The following points were discussed in the meeting.

- 1) The Principal Accountant General was appraised about the number of documents issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 and number of letters issued under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, corresponding to regions 'A', 'B' & 'C' for the 3rd quarter (30.09.2024) of the year 2024-25. During analysis, it was observed that more correspondence in Hindi has been made by the office in this quarter than the target laid down by the Official Language Department for the regions 'A', 'B' & 'C'. The office has also achieved the target in terms of noting in Hindi in this quarter as well.
- 2) The Principal Accountant General expressed his satisfaction in achieving the targets in terms of correspondence and noting in Hindi for the regions 'A', 'B' & 'C' and also directed to enhance the percentage of correspondence and noting in Hindi for ensuing quarters.
- 3) The Principal Accountant General instructed DA & RC Cell that documents which are to be issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 may be uploaded in bilingual form (Hindi & English) on the official website on regular basis.
- 4) During the meeting, it was brought to the notice of the Chairman that quarterly meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) is mandatory to be held by the 20th of the following month of every quarter on regular basis. In this regard the chairman strictly directed all sections/ cells that Quarterly Report must be submitted to Rajbhasha Section **on or before 05th of the following month** of every quarter. **Further, approval of Group officer of the concerned sections will be required**, in case of delay submission of the report.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Tanujadmbastha
Secretary/ OLIC
11.11.24

Deputy Accountant General (Admn)